

निगरानी 1145-I-15

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक— /2015

1. पहलवान पुत्र लालजी यादव
  2. बाबूलाल पुत्र गोरेलाल यादव
  3. निरपत पुत्र श्री गोरेलाल यादव
  4. खिल्लू पुत्र श्री सुन्दर चमार
  5. मजबूत सिंह पुत्र खुमान सिंह
  6. वीरनसिंह पुत्र अमर सिंह
  7. गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह
- निवासीगण—ग्राम गोलना तहसील शमशाबाद  
जिला विदिशा (म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर विदिशा जिला विदिशा  
(म.प्र.) —अनावेदक

**न्यायालय तहसीलदार तहसील शमशाबाद जिला  
विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक—112/बी—121/2014—15  
में पारित आदेश दिनांक 11/05/2015 के विरुद्ध म.  
प्र. मू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अ  
तिन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-


1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय, प्रकरण क्रमांक—53/97—98/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07/02/2014 जिसके द्वारा पट्टे निरस्त किये गये थे, इस आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक—1525—पीबीआर/2013 लम्बित है। इस कारण

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1145-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	